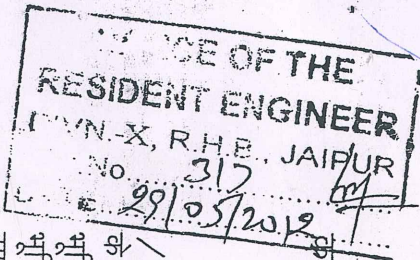


राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर.

क्रमांक:भूअ/जविप्रा से आवंटन/ग्राम महला एवं चाणचुक्का/218 दिनांक:- 16-5-12

कार्यालय आदेश



सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2012/डी-531 दिनांक 07.05.2012 के द्वारा ग्राम महला के खसरा नं 539, 1354 एवं ग्राम चाणचुक्का के खसरा नं 0 1, 3, 4, 6, 22, 31, 81, 25, 63, 64, 65, 75, 76, 78 एवं 87 के कुल 301 बीघा भूमि में से 22 बीघा भूमि तलाई मन्दिर और अतिक्रमण से प्रभावित होने के कारण शेष 279 बीघा भूमि मण्डल को डीएलसी दर के आधार आवंटित की गई है जिसमें भूमि की दर विभिन्न शर्तों के साथ ग्राम महला में मुख्य सड़क से 500 मीटर से 1.00 कि.मी. तक स्थित 10,56,563/- रुपये प्रति बीघा, अस्थित भूमि 9,81,100/- रुपये प्रति बीघा ग्राम चाणचुक्का में मुख्य सड़क से सनिकट 500 मीटर तक 6,03,750/- रुपये प्रति बीघा 500 मीटर से अधिक दूरी पर 1.00 कि.मी. तक 4,37,725/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से कुल राशि. तहसील कार्यालय-मौजमाबाद के गणनानुसार रुपये 21,65,71,060/- (अक्षरे इक्कीस करोड़ पैंसठ लाख इक्कतर हजार साठ रुपये मात्र) की मांग की गई है, जिसके संबंध में मण्डल द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्रांक 121 दिनांक 23.04.12 में उक्त भूमि का मांग-पत्र राशि रुपये 21,53,87,000/- (अक्षरे इक्कीस करोड़ तरेपन लाख सतासी हजार रुपये मात्र) भिजवाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण के मांगपत्र अनुसार 21,35,71,060/- (अक्षरे इक्कीस करोड़ पैंसठ लाख इक्कतर हजार साठ रुपये मात्र) में से मण्डल स्तर पर परीक्षणोपरांत राशि रु 21,53,87,000/- (अक्षरे इक्कीस करोड़ तरेपन लाख सतासी हजार रुपये मात्र) का जयपुर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त राशि के भुगतान किये जाने का माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन पत्रावली के पैरा 644/एन पर प्राप्त है :-

क्र. सं.	भुगतान जिसको किया जाना है	ग्राम का नाम	खं नं 0	रकबा (बीघा में)	भुगतान योग राशि (लाखों में)	अग्रिम आयकर कटौती राशि	खातेदार/संस्था को शुद्ध मुआवजा राशि (लाखों में)
1	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	महला	539 1354	131	1285.24	-	1285.24
2		चाणचुक्का	1, 3, 4, 6, 22, 31, 81	133	802.98	-	802.98
3		चाणचुक्का	35, 63, 64, 65, 75, 76, 78 व 87	15	65.65	-	65.65
कुल भूमि			279 बीघा	2153.87	-	-	2153.87

(देय राशि रुपये इक्कीस करोड़ तरेपन लाख सतासी हजार मात्र)

सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त राशि का बैंक प्राप्त होने पर धनराशि बैंक ऑफ राजस्थान परिसर जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाकर भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, राआम0, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त राशि का बैंक सचिव-जविप्रा, जयपुर के नाम बनाकर उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम को प्रेषित कराने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

Praveshdipramojajinibh326

सचिव